

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन, सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/पीएन/59/2015

दिनांक: 11 अक्टूबर, 2015

प्रेस नोट

विषय:- बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2015 के दौरान अवैध धन पर नियंत्रण।

मीडिया रिपोर्टों, विशेषकर जो बिहार में चल रहे निर्वाचनों के संबंध में हवाला प्रचालनों पर सितम्बर, 2015 में एक टीवी चैनल द्वारा कराए गए स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित हैं, के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार एवं दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों को मामले की जाँच करने का निदेश दिया था। आयोग ने निर्वाचनों में अवैध धन के उपयोग के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग ने यह भी निदेश दिया कि वह यह अपेक्षा करता है कि बिहार राज्य विधान सभा साधारण निर्वाचनों में सभी एजेंसियों को एक-दूसरे के साथ रीयल-टाइम आसूचना साझा करने सहित सभी प्रकार के प्रयास अवश्य करने चाहिए और ऐसे संदिग्ध लेन-देन को मॉनीटर करना चाहिए। आयोग ने यह भी उल्लेख किया था कि व्यय संवेदनशील क्षेत्रों और ऐसे हवाला प्रचालनों से जुड़े हुए संभावित व्यक्तियों की अवश्य पहचान और मैपिंग की जानी चाहिए। चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है इसलिए, ऐसी कार्रवाई की जाने योग्य आसूचना पर अवश्य तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपर्युक्त निदेशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में आयकर प्राधिकारियों ने आयोग को सूचित किया है कि तलाशियों के उपरांत दिल्ली और मुजफ्फरपुर, बिहार में लगभग 19 करोड़ रु. (दिल्ली में 9 व्यक्तियों से 5 करोड़ रु से अधिक तथा मुजफ्फरपुर, बिहार में 4 व्यक्तियों से 13.75 करोड़ रु की धनराशि) गैर-हिसाबी धन के रूप में बरामद किए गए हैं।

चल रहे निर्वाचनों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अभिचिह्नित एवं संदिग्ध हवाला ऑपरेटरों पर नजर रखी जा रही है। गैर-हिसाबी धन के मामलों में जांच चल रही है।

ह./-

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक